<u>प्रकरण संख्या 57/2023 मानसिंह व अन्य बनाम श्रीमती वन्दना व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.07.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 14 की शामलाती आराजी नंबर 760 रकबा 36 बीघा 18 बिस्वा भूमि मौजा सडियाररेल, पटवार हल्का बोयणा, तहसील मावली में स्थित है। पक्षकारान आपसी समझाईश अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं एवं अपनी अपनी जमीन को आवादान किया है। वादिया अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाना चाहती है। अतः वाद वर्णित आराजी का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावे। प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5, 7, 9, 10 की ओर से जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया तथा काउण्टर क्लेम में चाहे गये अनुतोष अनुसार विभाजन किये जाने का निवेदन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर वादिया के वाद एवं प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम के आधार पर दिनांक 17.06.2016 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 6–10–2022 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 9 व 10 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25.07.2023 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र मेनारिया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 से 12 की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश माण्डोत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 व 15 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13/2 श्री राजेन्द्रसिंह स्वयं उपस्थित हुए तथा लिखित बहस प्रस्तुत किया, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुखदेव बाखर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:19 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण दिनांक 08.07.2023 को अपनी कृषि भूमि पर कार्य कर रहे थे तो प्रत्यर्थी संख्या 1 की आरे से उनके प्रतिनिधि मौके पर आये तो उन्हें उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या ने अन्य प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्टगण से मिलकर गलत व अधूरे तथ्य प्रकट कर निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली, जो त्रुटि पूर्ण है। वक्त बंटवारा उपस्थिति हेतु अपीलान्टगण को कोई सूचना नहीं दी गयी तथा उनकी अनुपस्थिति में बंटवारा रिपोर्ट तैयार की गयी है। बंटवारा रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गयी है, ऐसी स्थिति में उक्त बंटवारा रिपोर्ट के आधार पर जारी अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण है। वाद वर्णित भूमि में अपीलान्ट संख्या 1 व 2 तथा अन्य प्रत्यर्थीगण का 1/4 हिस्सा है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण द्वारा पूर्ण रूप से साबित कराया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना नहीं गयी है तथा रास्ता केवल अपीलान्टगण के खातेदारी की भूमि में से दिया गया है, जबकि विधि अनुसार सभी खातेदारों की भूमि में से रास्ता दिया जाना चाहिए था। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2011-12 (Supp.) Page 698, RRT 2009 (2) Page 775, RRT 2011 (1) Page 229 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज होने से खारिज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:19 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13/2 श्री राजेन्द्रसिंह ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि रास्ता सभी खातेदारों की जमीन से दिया गया है तथा अपीलान्टगण की एक ईंच भी जमीन कम नहीं हुई है तथा जितनी भूमि अपीलान्टगण की थी, उतनी उनके खाते में दर्ज है। पक्षकारान आपसी सहमति से मौके पर काबिज हैं। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2077 से 2080 में विवादित आराजी नंबर 760 रकबा 5.9732 हैक्टर भूमि अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्टगण के सहखातेदारी में दर्ज है। प्रत्येक सहखातेदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत अपने हिस्से की आराजी का विभाजन कराने का कानूनी अधिकार प्राप्त है एवं वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने उन्हें अधिकारों के तहत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी एवं प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त फर्द बंटवारा अनुसार सभी पक्षकारान के मध्य राजस्व रेकार्ड एवं कब्जे अनुसार विभाजन किया जाना प्रकट होता है तथा खातेदारान के हिस्से की भूमि में आने–जाने हेतु 0.1900 हैक्टर रास्ता पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि से दिया जाना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। तद्नुसार उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की गयी वह विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 238/2012 निर्णय दिनांक 29.05.2023 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
प्रबन्ध अधिकारी
पद राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:19 IST
Reason: SelfAttested